eLegalix - Allahabad High Court Judgment Information System ***(Judgment/Order in Text Format)***

This is an UNCERTIFIED copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only. In case of any mistake, please bring it to the notice of Deputy Registrar(Copying).

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

A.F.R.
Court No. - 46

Case :- CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. - 2998 of 2021

Petitioner :- Ajay Kumar Yadav
Respondent :- State of U.P. and Another
Counsel for Petitioner :- Sarvesh Chaubey
Counsel for Respondent :- G.A.

Hon'ble Surya Prakash Kesarwani,J.
Hon'ble Piyush Agrawal,J.

1. Heard Sri Sarvesh Chaubey, learned counsel for the petitioner, Sri S.K. Pal, learned Government Advocate assisted by Sri Roopak Chaubey, learned AGA for the State-respondent Nos. 1, 2, 3 & 4 and Sri Gyan Prakash, assisted by Sri Sanjay Kumar Yadav, learned counsel for the respondent no. 5.

2. It is a case of custodial death of a young boy aged about 24 years, namely, Krishna Yadav @ Pujari. As per FIR No.0038/21, dated 12.02.2021 under Sections 302, 394, 452 & 504 I.P.C. P.S. - Baksa, District - Jaunpur, the SOG team and SO Baksa, Ajay Kumar Singh came to the house of the deceased on 11.02.2021 about 03:00 P.M. and took away the deceased with an intent to implicate him falsely and the deceased was detained at the police station. At about 08:00 P.M. the S.O. Baksa and other policemen (ten in numbers) forcibly entered in the house of the informant and after breaking lock of the box took away Rs.60,000/- and other articles and used filthy language against women family members of the deceased. At about 12.30 P.M. the incharge SOG and SO Baksa, Ajay Kumar Singh and 10 - 12 policemen brought the deceased who was not even able to stand and was loudly crying "माँ-माँ मुझे बचा लो पुलिस वाले मुझे जान से मार देगें।" Policemen also took away the motorcycle kept in the house and when the informant went to the police station he was not allowed to meet with his brother (deceased) and in the morning, information was received that his brother Krishna Yadav @ Pujari died in police custody who has been murdered by the policemen.

3. On the other hand, the police has developed a story that as per G.D. Entries Nos.05 and 06, dated 12.02.2021, the deceased was apprehended while he was driving a motorcycle who fell, received injuries and could not fled away and he told that in the afternoon of 11.02.2021 he was hit by a motorcycle and the public beaten him. The arrest of the deceased has been shown at 10:25 P.M. on 11.02.2021. As per G.D. the deceased was brought to the police station Baksha at 01:30 A.M. on 12.02.2021 and at the same time he was sent for first aid alongwith Sub Inspector Sunil Kumar Tiwari, constable Manish Kumar and constable Samir Kumar and the Doctor at the CHC referred the deceased for treatment to District Hospital, Jaunpur and by the time they reached at the District Hospital Jaunpur, Krishana Yadav @ Pujari died and thus he was brought to the District Hospital as dead. Copy of G.D. No.05 dated 12.02.2021 has been filed by the respondent no.2 as Annexure C.A. -2 to the counter affidavit dated 01.09.2021 and the G.D. Entry No.06 of even date and time i.e. 12.02.2021 time 01:30 A.M., has been produced today by the learned A.G.A. before us stating that inadvertently these pages could not be annexed with the counter affidavit. In G.D. No.05 dated 12.02.2021 time 01:30 A.M. it has been mentioned that :

"अभियुक्त द्वारा बारबार कराहने पर पूँछने पर बताया कि साहब आज करीब 2.00 बजे दोपहर में ग्राम विरहदपुर के पास एक मोटर साइकिल से टक्कर लग गया था। राहगीर मुझे उसके साथ मिलकर मुझे काफी मारे पीटे थे। जिसकी वजह से मेरे शरीर में जगह जगह चोटे आयी है। जिसके कारण दर्द हो रहा है। गिरफ्तारी की सूचना उसकी माँ को मौके पर ही दी जा रही है। किन्तु गवाही पर हस्ताक्षर करने से मना कर रही है। दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी मानवाधिकार आयोग व मानवीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया गया अभियुक्त का यह कृत्य धारा 392/411/414 भादवि का अपराध है। अतः कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 22.25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया फर्द मौके पर टार्चो व बिजली की रोशनी में लिखकर पढ़कर सभी सम्बन्धित के अलामात बनवाये जा रहे है। फर्द की प्रति अभियुक्त को दी जा रही है।"

4. The F.I.R. lodged by the brother of the deceased being the first information report No.0038/21, dated 12.02.2021 (at 16:35 hours) under Sections 302, 394, 452 & 504 I.P.C. P.S. - Baksa, District - Jaunpur, (in which SOG Team Jaunpur, Station House Officer Baksa, namely, Ajay Kumar and police personnel of police station Baksa are named as accused), is reproduced below:

lsok esa Jheku iqfyl v/kh{kd tkSuiqj egksn; lfou; fuosnu gS fd izkFkhZ vt; dqekj ;kno S/O fryd/kkjh ;kno xzke idM+h pdfetkZiqj Fkkuk cD'kk ftyk tkSuiqj dk fuoklh gw¡ ?kVuk fnukad 11-02-2021 le; 3 cts fnu esa SOG Vhe o S.O. cD'kk vt; dqekj flag e; gejkgh iwjh QkslZ ds lkFk esjs ?kj ij vk;s vkSj esjs HkkbZ d`".k dqekj ;kno mQZ iqtkjh iq= fryd/kkjh mez 24 o"kZ idM+dj Fkkus ys x;sA tcfd esjs HkkbZ ds fo:) dksbZ vkijkf/kd eqdnek tuin ds fdlh Fkkus esa ugh gSA esjk HkkbZ O;ogkj dq'ky O;fDr Fkkuk esjs HkkbZ dks S.O.G. Vhe o S.O. cD'kk vt; dqekj flag QthZ eqdnesa esa Q¡lkus ds fu;r ls Fkkus

esa cSBk;s Fks jkf= 08-00 cts S.O. cD'kk e; gejkfg;ksa o iqfyl okyks 10 dh la[;k Fkh vk;s vkSj ?kj esa ?kqldj cDls dk rkyk rksM+dj 60]000 :i;k o lkeku S.O. cD'kk vt; dqekj flag o iqfyl okys mBk ys x;sA euk djus ij fd efgykvks dks Hkíh&2 xkfy;k¡ fn;s iqu% 12-30 cts jkf= esa S.O.G. izHkkjh o S.O. cD'kk vt; dqekj flag e; gejkfg;ksa cksysjks 10 eksVj lkbfdy ls 10 ls 12 iqfyl okyks ds lkFk esjs HkkbZ dks esjs ?kj ysdj vk;s esjk HkkbZ [kM+k ugh gks jgk Fkk tksj&tksj fpYyk jgk Fkk ek¡&ek¡ eq>s cpk yks iqfyl okys iqfyl okys eq>s tku ls ekj nsxsA vkSj ?kj ij j[kh eksVj lkbfdy Hkh mBk ys x;sA eS Fkkus ij x;k eq>s iqfyl okys feyus ugh fn;sA lqcg lwpuk feyh fd iqfyl dLVMh es esjs HkkbZ fd ekSr gks x;h esjs HkkbZ dh gR;k mijksDr iqfyl okyks }kjk dh x;h gSA vr% Jheku th ls vuqjks/k gS fd S.O. cD'kk dks vknsf'kr djsa fd rRdkyhu S.O. cD'kk o S.O.G. Vhe e; gejkgh;ksa ds fo:) gR;k o ywV dk eqdnek ntZ djsa vko';d dk;Zokgh djsaA izkFkhZ vt; dqekj ;kno S/O fryd/kkjh ;kno xzke idM+h pdfetkZiqj Fkkuk cD'kk tkSuiqj MO 9984669989 gLrk{kj vt; ;knoA uksV& mDr rgjhj o dk;eh gs0eks0 lqjsUnz dqekj }kjk cksy&cksydj v{kj'k% dEI;wVj esa QhM djok;k x;kA"

5. As per the alleged post mortem report, the injuries are as under:-

1. Contusion present in both buttocks of size 30X 20 cm which bluish brown in colour.

2. Contusion present in lower scapular region of size 15 X 8 cm which is bluish brown colour.

3. Contusion present Lt. Arm lateral of size 10X 3 cm which is bluish brown colour.

6. As per post mortem report, the cause of death of deceased was "shock and Syncope as a result of ante mortem, myocardial and Infarction".

7. Due to custodial death, a judicial inquiry was entrusted in the matter to the Chief Judicial Magistrate, Jaunpur, who recorded statements of 16 inquiry witnesses. The first set of inquiry witnesses are the family members of the deceased, the second set of inquiry witnesses are independent witnesses and the 3rd set of inquiry witnesses are doctors and the policemen including the Sub-Inspector Sunil Kumar Tiwari (IW-14), Constable Manish Kumar (IW-12) Constable Samir Kumar (IW-13). The statement of inquiry witnesses IW-12 Constable Manish Kumar, IW 13 Constable Samir Kumar and IW-14 Sub-Inspector Sunil Kumar Tiwari as recorded by the Chief Judicial Magistrate and incorporated by him in his report dated 25.06.2021 filed as Annexure CA -12 to the counter affidavit of the respondent no.2 dated 01.09.2021, are reproduced below :

"साक्षी आई० डब्लू० 12 का० मनीष कुमार, थाना बक्शा ने ब्यान किया है कि-

"दिनांक 11.02.2021को रात्रि गश्त में था। रात्रि 10.25 से रात्रि गश्त में ड्यूटी में था। मैं एस०आई० सुनील कुमार तिवारी के साथ था व हमराही का० समीर कुमार के साथ रात्रि गश्त की ड्यूटी में था। रात्रि 01.30से पौने 2.00 के बीच थाने से फोन आया और हम लोगों को थाने पर बुलाया गया। थाने पर जाकर पूछने पर हम लोगों को बताया कि किसी मुलजिम की तबीयत खराब हो गयी है, उसको अस्पताल जाना है। मुलजिम का नाम एस०एच०ओ० साहब ने दरोगा जी को बताया था कि उसका नाम कृष्णा उर्फ पुजारी है और यह भी बताया था कि कि इसके पेट में दर्द हो रहा है। फिर रात्रि दो बजे के लगभग मैं व एस०आई० सुनील कुमार तिवारी व का० समीर कुमार द्वारा मुलजिम को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नौपेडवा ले जाया गया। मैं कृष्णा यादव के शरीर पर कोई चोट नही देखा। कृष्णा यादव ने ऐसा कोई कथन नही किया था कि उसके साथ किसी पुलिसकर्मी ने मारपीट की है। अस्पताल थाने से लगभग दो कि०मी० की दूरी पर है। अस्पताल से डाक्टर साहब ने कृष्णा यादव को जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। उसकी तबीयत उस समय काफी खराब थी परन्तु वह मार पीट किये जाने की कोई बात या शिकायत नही कर रहा था। सामुदायिक चिकित्सालय से कृष्णा यादव को जिला अस्पताल एंबुलेन्स द्वारा ले जाया गया था। मैं जिला अस्पताल नही गया था। "

साक्षी आई० डब्लू० 13 का० समीर कुमार, थाना बक्शा ने बयान किया है कि-

"दिनांक 11.02.2021 को रात्रि में मै एस०आई० सुनील कुमार तिवारी व हमराही का० मनीष कुमार के साथ रात्रि गश्त में था कि रात्रि 01.30 से पौने 2.00 के बीच थाने से फोन आया और हम लोगों को थाने पर बुलाया गया। थाने पर जाकर पूछने पर हम लोगों को बताया कि किसी मुलजिम की तबीयत खराब हो गयी है, उसको अस्पताल जाना है। मुलजिम का नाम एस०एच०ओ० साहब ने दरोगा जी को बताया था कि उसका नाम कृष्णा उर्फ पुजारी है और यह भी बताया था कि इसके पेट में दर्द हो रहा है। फिर रात्रि दो बजे के लगभग मुलजिम को मेरे एस०आई० सुनील कुमार तिवारी व का० मनीष कुमार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नौपेडवा ले जाया गया। मैनें कृष्णा यादव के शरीर पर कोई चोट नही देखी। कृष्णा यादव ने ऐसा कोई कथन नही किया था कि उसके साथ किसी पुलिसकर्मी ने मारपीट की है। अस्पताल थाने से मात्र दो कि०मी० की दूरी पर है। अस्पताल से डाक्टर साहब ने कृष्णा यादव को जिला अस्पताल रेफर कर दिया था। उसकी तबीयत उस समय काफी खराब थी। परंतु वह मारपीट किये जाने की कोई बात या शिकायत नही कर रहा था। सामुदायिक चिकित्सालय से कृष्णा यादव को जिला अस्पताल एंबुलेन्स द्वारा ले जाया गया था। मैं जिला अस्पताल नही गया था। वही से थाने वापस आ गया था।"

साक्षी आई० डब्लू० 14 उपनिरीक्षक सुनील कुमार तिवारी, थाना बक्शा ने बयान किया है कि-

"दिनांक 11.02.2021 को थाना बक्शा पर रात्रि अधिकारी के रूप में मेरी ड्यूटी थी। मैं अपने हमराहियों का० मनीष कुमार व का०समीर कुमार के साथ लगभग 10.40 बजे थाने से रवाना होकर रात्रि गश्त में भ्रमण पर था कि रात्रि 01.30से पौने 2.00 के बीच थाने से फोन आया और हम लोगों को थाने पर बुलाया गया। थाने पर जाकर पूछने पर हम लोगों को बताया कि किसी मुलजिम की तबीयत खराब हो गयी है, उसको अस्पताल जाना है। थानाध्यक्ष महोदय से पूछने पर उन्होनें बताया मुलजिम का नाम कृष्णा यादव उर्फ पुजारी है और यह भी बताया था कि इसके पेट में दर्द हो रहा है। फिर तुरंत ही मैं उपनिरीक्षक अपने हमराहियों के साथ मुलजिम कृष्णा यादव उर्फ पुजारी को लेकर प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र नौपेडवा गये। जहाँ पर वह स्वंय ही गाड़ी से उतर कर अस्पताल के अंदर गया था तथा डाक्टर साहब द्वारा उसको देखा गया व उसका इलाज किया गया। मैनें मुलजिम कृष्णा यादव उर्फ पुजारी के शरीर पर कोई चोट व खरोंच नही देखा था तथा उसने मुझसे व मेरे हमराहियों से भी कोई मारपीट, चोट खरोंच का जिक्र नही किया था। डाक्टर साहब द्वारा जब उससे पूछा गया तो उसने बताया था कि पेट में दर्द हो रहा है। यह बात मैनें अस्पताल में उसके मुँह से सुना था। अस्पताल थाने से करीब दो किलोमीटर की दूरी पर है। डाक्टर साहब ने वहाँ पर मौजूद किसी अन्य व्यक्ति से 108नम्बर पर फोन करवाया था तथा बताया कि इसकी तबीयत खराब है, इसको जिला चिकित्सालय रेफर किया जा रहा है। तुरंत ही फोन करने पर 108 एंबुलेंन्स सी०एच०सी० नौपेडवा पर आयी व कृष्णा यादव उर्फ पुजारी को जिला चिकित्सालय जौनपुर लेकर गयी थी। लेकिन मैं थानाध्यक्ष महोदय को सारी बात बताकर वापस रात्रि गश्त भ्रमण हेतु थाना क्षेत्र चला गया था।"

8. The IW 16 Kansraj Yadav (an independent witness) has stated before the Judicial Magistrate on 11.02.2021 as under :

"साक्षी आई०डब्लू०16 कंसराज यादव ने बयान किया है कि-
"मैं चाय की दूकान लगाता हूँ। दिनांक 11.02.2021 मे मै अपनी दूकान पर था। दूकान के सामने एस०ओ० बक्शा की गाड़ी खड़ी थी। उस समय लगभग 03.30 बज रहे थे। वहां पर 10-12 पुलिस वाले थे। वहाँ सौरभ पाठक कृष्णा यादव उर्फ पुजारी को बैठाकर लेकर आया और मेरू दूकान के सामने आकर मोटरसाईकिल रोक दी। पीछे से चन्द्रबदन व अजय यादव मोटरसाईकिल से आये। कृष्णा यादव को पुलिसवालों ने गाड़ी में डाल लिया। अजय व चन्द्रबदन ने पुलिसवालो से पूछताछ की यह हमें नही मालूम है। कृष्णा यादव से मेरी दूकान के सामने किसी ने मारपीट नही की थी। वे लोग उसे लेकर वहां से चले गये थे। अगले दिन मुझे पता चला कि कृष्णा यादव की मृत्यु हो गयी है। मेरे सामने कृष्णा यादव से किसी ने कोई मारपीट नही की थी। मुझे इसके अलावा और कोई जानकारी नही है।"

9. IW-2 (Smt. Satta mother of the deceased) and IW-3 (Ajay Kumar Yadav informant and brother of the deceased) and IW-4 (Pradip Yadav, brother of the deceased) have stated before the Chief Judicial Magistrate as under :

"साक्षी आई०डब्लू०2 श्रीमती सत्ता ने बयान किया है कि-
" मेरे तीन लड़के थे। बडे का नाम अजय यादव, दूसरे बेटे का नाम कृष्णा उर्फ पुजारी तथा छोटे बेटे का प्रदीप यादव है। सौरव पंडित मेरे घर आये थे। तारीख याद नही है। बोले कि बक्शा के दरोगा जी कृष्णा यादव को बुलाये है। 03.00 बजे सांय कृष्णा यादव को सौरव पंडित अपनी गाडी पर बैठाकर ले गये थे। अजय यादव व गांव के चन्द्रबदन को मैं थाने पर भेजी थी,कि क्या बात है जो कृष्णा यादव को पुलिस बुलायी है। फिर रात में 08.00 बजे 10-12पुलिस वाले जिसमें कुछ सादी वर्दी में थे, मेरे घर आये और घर में तोड-फोड करने लगे। पेटी का ताला तोडकर 60,000/- रूपये लूट लिये। मैनें रोकना चाहा तो मुझे घसीटकर बाहर कर दिया। पुलिस वाले लूटामार करके 60,000/- रूपये लूट कर चले गये। रात में12.30 बजे पुलिस वाले मेरे लड़के कृष्णा यादव को जिसको बहुत मारपीट रखा था को लेकर मेरे घर आये और कहा कि डेढ लाख रूपया दो नही तो तुम्हारे लड़के को जान से मार देंगे। मैनें कहा कि मैं पैसा नही दे सकती। फिर पुलिस वाले मेरे लड़के को लेकर वापिस चले गये। अगले दिन सुबह 05.00 बजे पता चला कि कृष्णा की मृत्यु हो गयी है। मेरे घर में मेरे सामने कृष्णा यादव को पुलिस वालो ने नही मारा था परंतु वह बुरी चोटिल था।"
साक्षी आई० डब्लू० 3 अजय कुमार यादव ने बयान किया है कि-
"मै ए०सी० मैकेनिक के हैल्पर के रूप में एक साल से काम कर रहा हूँ। उसके पहले पढता था। हम तीन भाई थे। मृतक कृष्णा यादव उर्फ पुजारी मंझला भाई था। दिनांक 11.02.2021 को समय 03.00 बजे सौरभ पाठक पुत्र जितेन्द्र पाठक बाईक से आया जोकि कृष्णा यादव के पास आता जाता था। मैनें उसको आते हुए देखा था। वो आकर बोला कि एस०ओ० साहब रोड पर खडे है और तुझको बुला रहे है। रोड घर से 150 मीटर दूरी पर है। कृष्णा उसकी बाईक पर बैठकर चला गया। मैं और चन्द्रबदन उसके पीछे-पीछे बाईक से गये थे। रोड पर जाकर सौरभ बाईक रोक दिया। जहाँ पर पुलिस वाले थे, जिसमें से कुछ वर्दीधारी नहीं थे। रोड से कृष्णा यादव को जबरदस्ती बैठाने लगे तो मैनें विरोध किया। तो उन्होनें कहा कि मै एस०ओ०जी० से है पूछताछ के लिए ले जा रहे है। उस टीम में एस०ओ० अजय कुमार भी थे। बाकि के लोग को मैं नही पहचानता। फिर पुलिस वाले कृष्णा यादव उर्फ पुजारी को गाड़ी में बैठाकर ले गये। ये घटना कंसराज यादव जिसकी रोड पर चाय की दुकान है ने भी देखी। मैं वापस घर चला आया। घर आकर घटना के बारे में लोगों को बताया। करीब 04.30 बजे मै तथा चन्द्रबदन थाना बक्शा गये। जब हम थाने पर गये तो देखा कि कृष्णा जमीन पर बैठा था। उसने हमको बताया कि पुलिस वाले उसको मारे-पीटे है। वह कह रहा था कि भाई हमको बचा लो, पुलिस वाले बहुत मार रहे है। हमको पुलिस वालो ने उससे मिलने नही दिया और पुजारी को उठाकर अंदर ले गये। हम लोगों को गाली देकर ताने के भगा दिया। वहां से मैनें बाहर निकलकर एस०पी० साहब को फोन करके तथा व्हाटसएप करके बताया। परंतु एस०पी० साहब ने संतोषजनक जवाब नही दिया। मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। फिर मै घर चला गया । रात के 08.00 बजे के करीब 10-12 पुलिसवाले जिसमें कुछ वर्दीधारी नही थे आये और घर में घुस गये तथा दरवाजा पीटने लगे। मैं तथा मेरी माताजी ने कृष्णा यादव के बारे में पूछा तो उन लोगो ने कहा कि वो थाने पर है। फिर पुलिसवालो ने मेरे छोटे भाई की पत्नी कोमल जो अंदर के कमरे में सोई थी उसको जबरदस्ती दरवाजा खुलावकर हाथ से पकड़कर निकाल दिया। दो मोबाईल और मोटरसाईकिल जबरदस्ती ले गये। रात में पुनः 12.30 बजे 10-12पुलिसवाले मेरे भाई को लेकर आये जिसमें एस०ओ० अजय कुमार सिंह भी थे। मेरा भाई रो पीट रहा था और चल नही पा रहा था। दो पुलिसवाले उसको पकड़ कर लाये और बाहर पड़ी चारपाई पर डाल दिया। मेरा भाई जोर- जोर से कह रहा था कि जो भी पैसा हो इनको लाकर दे दो और हमको बचा लो नही तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। मेरी माताजी मेरे भाई को पकड़कर रोने लगी ,कहने लगी जो भी पैसा था वो तो आप लोग पहले ही लूट चुके हो फिर एस०ओ० अजय कुमार ने कहा कि साला प्रधानी लडेगा, मै इसको प्रधानी लड़ाता हूँ। फिर एस०ओ० अजय कुमार सिंह ने कहा कि अगर अपने लड़के को सही सलामत देखना चाहते हो तो डेढ लाख रुपया लेकर थाने आओ नही तो इसे गोली मार देंगे। हम रात में थाने पर नही गये। सुबह 06.00 - 06.30 बजे हल्ला होने लगा कि कृष्णा यादव उर्फ पुजारी को पुलिस वालो ने जान से मरा दिया। इसके बाद लगभग 08.00 बजे एस०पी० सिटी के आवास पर गया और उनको पूरी बात बतायी। एस०पी० सिटी ने दिलाशा देकर कहा कि ऐसी कोई बात नही है तुम्हारा भाई जल्दी छूट जायेगा। एस०पी०सिटी ने एक दरोगा को बुलाया जिनका नाम राजेश यादव है जो शायद सरपतहां थाने से है बुलवाया। फिर एस०पी० सिटी अंदर चले गये और एस०ओ० राजेश यादव हमको बाहर ले गये। मुझे बताया कि तुम्हारे भाई की मृत्यु हो गयी है। वो बोले जो होना था वो हो गया,उनको ऐसा नही करना चाहिए था। फिर वो मुझे गाड़ी में बैठाकर जबरदस्ती सदे अस्पताल ले गये।वहां पर 100-200 पुलिसवाले पहले से मौजूद थे। और तमाम लोग भी थे। बड़ी कहने सुनने के बाद हमे तथा प्रमोद यादव को हमारे भाई का मुंह दिखाये। मेरे भाई के हाथ काले हो रहे थे। पूरी पीठ काली हो गयी थी। रीढ की हड्डी के पास खून निकल रहा था। फिर हम लोगो को बाहर निकाल दिये। पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने को तैयार नही थे, जब लोगों ने दबाव बनाया तो सांय के समय रिपोर्ट लिखी गयी। रिपोर्ट मैनें लिखायी थी। जो दोपहर में 03.00 बजे पुलिसवाले रोड पर से पुजारी को उठा कर ले गये थे तो उस समय उसे कोई नही मारा था। जब हम थाने पर गये पुलिसवाले जो 4-5 की संख्या में थे डण्डे व बेल्ट से मार रहे थे। जब रात में पुलिसवाले घर लेकर आये थे तब किसी पुलिसवाले ने ने नही मारा था। मेरी माताजी को प्लास्टिक का पाईप मारे थे। सब पुलिसवाले भद्दी-भद्दी गालियाँ दे रहे थे। मेरे भाई का कोई आपराधिक इतिहास नही था। वह सीधा-सीधा व्यक्ति था। मेरे भाई को उठाने में सौरभ पाठक का पूरा हाथ है परंतु पुलिसवाले उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नही कर रहे है। मेरा भाई पूर्ण रूप से स्वस्थ था, उसे कोई बिमारी नही थी। उसकी मृत्यु पुलिसवालों के मारने के कारण से हुई है।"

साक्षी आई०डब्लू०4 प्रदीप यादव ने बयान किया है कि-
"हम लोग तीन भाई थे। जिसमें मै सबसे छोटा हूँ। अजय यादव सबसे बडा, कृष्णा यादव उर्फ पुजारी बीच वाला भाई था। मै मुम्बई में रहकर ए०सी० मैकेनिक का काम करता हूँ। मेरे पिताजी भी मुम्बई में रहकर गाड़ी चलाते है। दिनांक 11.02.2021 को मेरी पत्नी कोमल यादव ने फोन करके बताया कि मेरे भाई कृष्णा को पुलिस उठा ले गयी है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि थाना बक्शा की पुलिस जिस में एस०ओ० अजय सिंह व एस०ओ०जी० की टीम रोड पर से उठा कर ले गयी है। उसने बताया कि सौरभ पाठक उसको बुलाकर ले गया था। पुलिसवाले कह रहे थे कि पूछताछ करके छोड़ देंगे और हम लोग निश्चिंत हो गये। फिर मेरी पत्नी ने फोन करके बताया कि पुलिसवाले घर पर आकर पैसा और घर का

सामान लूट ले गये है, तब हम घबरा गये और अन्य लोगो से बातचीत किया। परंतु उन लोगों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया। रात 12.30 के बाद मेरी पत्नी द्वारा पुनः फोन करके रोते हुए बताया गया कि पुलिसवाले भईया को लेकर आये थे। कुल 10-12 की संख्या में थे। कुछ वर्दी नही पहने थे।उसने बताया कि पुलिसवाले ज्यादामार दिये है, जिससे वह चल नही पा रहा है। भईया रो रहे थे कि जो भी पैसा है देकर मेरी जान बचा लो नही तो ये लोग मुझे जान से मार देगें। एस०ओ० अजय सिंह ने भद्दी -भद्दी गालियां दी और कहा कि अगर पैसा नही दोगे तो सुबह तेरे बेटे की लाश मिलेगी। यह बात मेरी पत्नी द्वारा मुझे फोन करके बतायी गयी थी। सुबह 06.00 बजे को 12 तारीख को मेरी पत्नी का फोन आया कि पुलिसवालो ने कृष्णा यादव को मार डाला है और सदर अस्पताल में छोड़कर चले गये है। हम लोग उन्हें देखने जा रहे है। फिर मैं, मेरे पिताजी, मेरे बडे पापा का लड़का विनोद यादव फलाईट द्वारा जौनपुर आये। जौनपुर सदर अस्पताल सांयकाल 06.30 - 07.00 बजे के बीच में पहुँचे। मैनें और मेरे पूरे परिवार ने भाई के शव को देखा था। इसकी कमर पर व आँख, नाक व कान से खून आ रहा था। फिर हम लोगों को अस्पताल से हटा दिया गया।"

साक्षी आई०डब्लू०5 डा० मनीष कुमार केसरवानी सी०एच०सी० सुजानगंज(पोस्टमार्टम कर्ता) ने ब्यान किया है कि-

" मुख्या चिकित्साधिकारी, जौनपुर के आदेश के अनुसार मेरी ड्यूटी दिनांक 12.02.2021 को पोस्टमार्टम हाऊस, जौनपुर लगायी गयी थी। मेरे अलावा मेरे पैनल में डा० शाहिद अख्तर, सी०एच०सी० मडियाहूँ व डा०प्रवीण कुमार, सी०एच०सी० रेहटी एंव फार्मासिस्ट अवधेश कुमार, पुलिस लाईन अस्पताल मौजूद थे। दिनांक 12.02.2021को ए०डी०एम० के आदेशानुसार रात्रि 09.10 पी०एम० पर कृष्णा यादव उर्फ पुजारी का शव विच्छेद शुरू किया गया। शव विच्छेद की कार्यावाही की विडियोग्राफी शुभम मौर्या द्वारा की गयी। शव को का० अरविन्द कुमार व का० मनीष कुमार थाना बक्शा द्वारा पोस्टमार्टम हाऊस लाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मेरे पैनल द्वारा निम्न चोटे पायी गयी-

(1) Contusion of size 30 x 20 cm दोनों नितम्बों पर जोकि लाल भूरा रंग लिये हुए था।

(2) Contusion of size 15 x 08 cm लगभग उपरी पीठ पर दोनो तरफ कंधो के पास जोकि लाल भूरा रंग लिये हुए था।

(3) Contusion of size 10 x 08 cmलगभग बाये भुजा पर बाहर तरफ था जोकि नीला रंग लिए हुए था।

उक्त तीनों चोटों के अलावा अन्य कोई जाहिरा चोट नही थी। कोई हड्डी भी टूटी नही थी। किसी धारदार हथियार की भी कोई चोट नही थी। उक्त चोटे ऐसी प्रकृती की नही थी, जिसमें कि किसी की मृत्यु प्रायः सम्भाव्य हो।

जब शव का विच्छेद किया गया तो प्रथमतः छाती खोलने पर यह पाया गया कि दोनो फेफड़ो में खून भरा हुआ था। पसली में कोई दिक्तत नही थी। सांस नली सामान्य थी। गर्दन में कोई दिक्कत नही थी। हृदय के दो चैम्बरों में खून भरा था। हृदय के दाहिने चैम्बर ' Ventricle' की पिछली दिवार पर 2 x 1 cm का सफेद धब्बा था। जो कि चिन्हित करता है कि उक्त धब्बा MI (दिल का दौरा) 'हृदयाघात' होने की वजह से सम्भाव्य है।"

10. As per story developed by the police, the deceased was brought to the police station at about 01:30 A.M. on 12.02.2021 after his arrest at about 10:25 P.M. on 11.02.2021 and he was sent to CHC Naupedwa, Jaunpur, at about 02:00 AM on 12.02.2021 for first aid, where Doctor referred him for District Hospital and when the deceased was brought to District Hospital by ambulance he was found dead.

11. Learned A.G.A. has produced before us case diary to impress that as per an alleged slip issued by the Doctor on emergency duty in Amar Sahid Uma Nath Singh District Hospital Jaunpur dated 12.2.2021, the deceased Krishna Yadav was brought dead at the Hospital at about 03:35 A.M. by the Constable Manish Kumar and Constable Samir Kumar, P.S. Baksa.

12. A supplementary affidavit dated 09.08.2021 has been filed by the petitioner annexing therewith three photographs of the dead body of the deceased Krishna Yadav. Averments in this regard have been made by the petitioner in paragraph 3 of the supplementary affidavit dated 09.08.2021 which have not been denied or disputed by the respondent No.2 and the respondent No.3 in separate counter affidavits filed by them. The counter affidavit has been filed on behalf of respondent no.2 by Chaub Singh, Circle Officer Badlapur, District - Jaunpur who replied the contents of paragraphs 2 and 3 of the aforesaid supplementary affidavit, in paragraph 33 of his counter affidavit as under :

"That the contents of paragraph nos. 2 & 3 of the supplementary affidavit refer to post mortem report dated 12.02.2021 and colour photographs of the deceased Krishna Yadav @ Pujari and as per the post mortem report there were three injuries on the person of the deceased and as per opinion of the doctor the said injuries are not sufficient for death and the cause of death of deceased is Shock & Syncope as a result of ante-mortem myocardial infraction and the viscera was preserved for any intoxication. As per the viscera report dated 01.07.2021 issued by the Forensic Science Laboratory, Ram Nagar , Varanasi no Chemical poison was found in viscera."

13. In his counter affidavit dated 06.09.2021, Sri Ajay Kumar Sahani, Superintendent of Police, Jaunpur, has replied paragraph 3 of the aforesaid supplementary affidavit, as under :

"That in reply to the contents of paragraph no.3 of the supplementary affidavit, it is submitted that the post-mortem report shows that there were 3 injuries on the person of deceased and as per the penal of doctors these injuries were not sufficient for death. The cause of death was due to shock and syncope as a result of ante-mortem myocardial infarction."

14. On 03.09.2021 this writ petition was heard at length and a detailed order dated 03.09.2021 was passed, observing as under :-

Despite all these facts well on record and for the reasons best known to the respondents, they have not taken any action against the accuseds pursuant to the impugned FIR but as a matter of eye wash transfer or suspension or attachment order of accuseds were passed. The custodial death of deceased is undisputed. Serious allegations supported by the inquiry witnesses are well on record and and yet for the reasons best known to the respondents, no action has been taken against the accused, instead, it prima facie appears that effort is being made to linger the investigation and carry it in a direction so the accused policemen may escape.

15. When this matter was heard on 06.09.2021 in presence of the Superintendent of Police Jaunpur, this court noted in the order the admission and submissions made by the State-respondents, as under :

"Heard Sri Sarvesh Chaubey, learned counsel for the petitioner, Sri S.K. Pal, learned Government Advocate assisted by Sri Roopak Chaubey, learned AGA for the State-respondents.
On oral request, learned counsel for the petitioner is permitted to implead Central Bureau of Investigation through its Director as respondent no. 5 in the array of parties. He undertakes to serve a copy of the writ petition along with supplementary affidavit and a copy of this order upon the counsel appearing on behalf of C.B.I., during course of the day.
Counter affidavit on behalf of respondent no. 3 dated 6.9.2021 has been filed today, which is taken on record. Sri Ajay Kumar Sahni, Superintendent of Police, Jaunpur is present in the Court in compliance of the order dated 3.9.2021.
Learned Government Advocate admits that the photographs of the deceased filed along with the supplementary affidavit dated 9.8.2021 is undisputed. The contents of paragraph no. 3 of the supplementary affidavit dated 9.8.2021 regarding the aforesaid photographs, have neither been disputed nor denied by the respondent no. 3 in paragraph no. 43 of the counter affidavit dated 6.9.2021. He states that accused police men are absconding and efforts are being made for their arrest. He submits that the present Superintendent of Police namely Sri Ajay Kumar Sahni has taken the charge on 17.6.2021 and thus he was not the Superintendent of Police at the time of registration of first information report no. 0038 of 2021 dated 12.2.2021 under Section 302, 394, 452, 504 IPC in which the SOG team Jaunpur, S.O. Baksa, Ajay Kumar Singh and S.O. Hamrah, Thana Baksa Jaunpur were the accused. He states that one Sri Rajkaran Naiyar was the then Superintendent of Police, Jaunpur.
Learned counsel for the petitioner prays for and is granted a day's time to file rejoinder affidavit.
Put up as fresh on 8.9.2021 at 10:00 A.M. for further hearing before this Bench."

16. The facts as briefly noted above prima facie reveal that the deceased was lifted by the S.H.O. Police Station Baksa and other policemen on 11.02.2021 and, thereafter he remained in the custody. The story of accident of the deceased in the afternoon of 11.02.2021 is a story prima facie developed by the police so as to give a different colour for the death of the deceased. As per own case of the police and G.D. entry, the deceased was arrested at about 10:25 A.M. on 11.02.2021 but he was brought to the police station at about 01:30 A.M. on 12.02.2021 and no treatment was required. Surprisingly, telephone calls were made to Sub-inspector Sunil Kumar Tiwari, Constable Manish Kumar and Constable Sameer Kumar between 01:30 A.M. to 01:45 A.M. requiring them to come to the police station to carry the deceased for first aid/ treatment. As per statement given by these three police personnel before the C.J.M., Jaunpur, they took the deceased at about 02:00 A.M. on 12.02.2021 to bring him to C.H.C. Naupedwa, Jaunpur.

17. As per police story, the aforesaid S.I. Sunil Kumar Tiwari, Constables Manish Kumar and Sameer Kumar also brought the deceased to District Hospital, Jaunpur. But perusal of their statement before the C.J.M. reveals that they had neither carried nor brought the deceased to the District Hospital rather they returned from C.H.C. Nawpedwa. As per photo-stat copy of the entry in the register at C.H.C. Nawpedwa, Jaunpur at serial No.E-3092, Krishna Yadav, when brought to the C.H.C., Naupedwa, Jaunpur, was unconscious and his B.P. and P.P. were not found and after thorough examination, the doctor referred him to District Hospital, Jaunpur at 01:55 A.M. The aforesaid photo stat copy of the register of C.H.C. Naupedwa, Jaunpur, has been produced before us by the learned A.G.A. stating it to be part of the case diary. Thus, when as per own case of the respondents, they took the deceased Krishna Yadav at about 02.00 A.M. on 12.02.2021 from the police station Baksa, then how it is possible that the doctor after thorough examination, has referred the deceased for District Hospital at 01:55 A.M. That apart, the doctor at the C.H.C. has found the deceased in an unconscious condition and his B.P. and P.P. were not found whereas the G.D. entry shows that the deceased was merely making some complain of pain in stomach. Surprisingly, the aforesaid three policemen who brought Krishna Yadav to C.H.C. Naupedwa, have stated that they have not seen any scratch or injury on the body of Krishna Yadav who has also not told about injuries and who told the doctor about pain in stomach, WHEREAS as per entries made by the doctor in the register at the C.H.C. Naupedwa, the Krishna Yadav was unconscious and his B.P. and P.P. were not found. Thus, the police story and G.D. entries are prima facie false and a criminal act to divert investigation in a wrong direction by manipulating evidences so as to defeat the rule of law and fair investigation. The respondents have set up a case that the deceased was carried by the aforesaid Sub Inspector Sunil Kumar Tiwari, Constable Manish Kumar and Constable Sameer Kumar from the police station to C.H.C. Naupedwa, Jaunpur and thereafter from the C.H.C., Naupedwa to the District Hospital Jaunpur, but these three persons have stated in their statement before the C.J.M., Jaunpur that they carried the deceased only upto C.H.C. Naupedwa Jaunpur and thereafter, they came back. Thus, the story developed by the respondents that the deceased was brought to District Hospital, Jaunpur by the aforesaid Sub Inspector and Constable, is itself not supported by their statements.

18. It is admitted case of the respondents that the deceased had received various injuries, which is reflected from the G.D. Entry No. 05. The statement made by the mother and brother of the deceased before the C.J.M., Jaunpur regarding brutal beating by the police and consequent injuries to the deceased, prima facie corroborates with the photographs of the deceased and a little reference in the G.D. entry No. 5. Surprisingly, the post mortem report does not contain the injuries present on vital part of the body of the deceased which can be easily seen in the undisputed photographs filed alongwith the supplementary affidavit. Thus, prima facie, post mortem report also appears to be manipulated or procured under undue influence.

19. In paragraph 6 of the writ petition the petitioner has stated that the incident of lifting the deceased by the Police on 11.02.2021 was informed to the Superintendent of Police Jaunpur over telephone (mobile phone) and by sending messages but no action was taken. Copy of call details and messages have been filed as Annexure No.3 which have not

been disputed by the Respondent Nos. 2 & 3 both in their counter affidavits. In paragraph 5 of the writ petition the petitioner has stated about some independent eye witnesses and some family members who submitted their notarized statement before the District Magistrate and the Superintendent of Police, Jaunpur. Copies of statements of Ajay, Kanshraj, Chandrabhan and Saraswati Devi have been filed collectively as Annexure No.2. But in their counter affidavits the respondent Nos. 2 and 3 vaguely denied it without denying the fact of statements and its contents. From the records of the writ petition and the report of the C.J.M., Jaunpur dated 25.6.2021 it appears that the deceased was preparing for election of Village Panchayat and he was threatened by the SHO Baksha.

20. The statements given by witness and filed alongwith the writ petition as referred in paras above, are reproduced below :-

Statement of Ajay Kumar Yadav
सेवा में,
श्रीमान जिलाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक जौनपुर
विषयः- मु० अ० सं०- 38/2021 अन्तर्गत धारा-30, 394, 504 आई० पी० सी० थाना-बक्शा, जिला-जौनपुर में 161 Cr.P.C के बयान के सम्बन्ध में-
हलफनामा मिनजानिब अजय पुत्र तिलकधारी उम्र त० 30 वर्ष सा० मौ०- चकमिर्जापुर, थाना-बक्शा, जिला-जौनपुर हस्ब जैल हैः-
दफा-1 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मैं उपरोक्त नाम व पते का मूल निवासी हूँ तथा मेरे नाम व बल्दियत का कोई अन्य व्यक्ति मेरे मौजे मे नही है।
दफा-2 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मुकदमा उपरोक्त में वादी हूं।
दफा-3 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि कृष्णा उर्फ पुजारी पुत्र तिलकधारी उ० त० 24 वर्ष सा० मौ- चकमिर्जापुर, थाना-बक्शा, जिला-जौनपुर मेरा छोटा भाई था।
दफा-4 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरा छोटा भाई कृष्णा उर्फ पुजारी के ऊपर जनपद जौनपुर के किसी भी थाने में कोई मुकदमा नही था कृष्णा एक सीधा-साधा व्यवहार कुशल लड़का था। और वह प्रधान पद के लिये तैयारी कर रहा था।
दफा-5 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि दिनांक 11.02.2021 को समय करीब 3 बजे दिन की है। मैं व मेरा छोटा भाई कृष्णा और मेरे मित्र चन्द्रबदन यादव घर पर बैठकर बातचीत कर रहे थे कि मोटर साइकिल से सौरभ पाठक पुत्र जितेन्द्र पाठक सा० मौ०-सिहीपुर, थाना लाइन बाजार, जिला-जौनपुर कृष्णा के घर पर आये तथा कृष्णा से कहे की रोड पर चलो बक्शा S.O अजय कुमार सिंह बुला रहे है। तब कृष्णा सौरभ पाठक की मोटर साइकिल पर बैठकर उसके साथ चला गया।
दफा-6 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मैं अजय व मेरे मित्र चन्द्रबदन के साथ उनके पीछे-पीछे मेन रोड पर पहुँचा तो सौरभ ने मोटर साइकिल ले जाकर कंशराज यादव की दुकान के सामने मेन रोड पर रोक दिया। वहां पहले से खड़े S.O बक्शा अजय कुमार सिंह व कुछ पुलिस वाले वहां थे कृष्णा को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर लेकर जाने लगे मैं व चन्द्रबदन ने पुलिस वालो से पूछा क्यों ले जा रहे है तो कुछ पुलिस वाले बोले की हम लोग S.O.G से है पूछताछ के लिए ले जा रहे है सौरभ भी पुलिस वालो की गाड़ी के साथ-साथ अपनी मोटर साइकिल से गया।
दफा-7 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि कृष्णा को पुलिस वाले को ले जाते समय अजय व कंशराज यादव व मैं तथा गाँव व अगल-बगल के तमाम लोगो ने देखा।
दफा-8 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि कृष्णा यादव को थाना बक्शा पुलिस ले जाने के बाद मैं व चन्द्रबदन यादव भी थाना बक्शा गये मैं व मेरे मित्र चन्द्रबदन ने देखा मेरे भाई कृष्णा को पुलिस वाले लांकअप में बन्द किये थे मेरा भाई रो रहा था। मैं व चन्द्रबदन ने कृष्णा से मिलने का प्रयास किया तो पुलिस वाले मुझे व चन्द्रबदन को गाली-गुफ्ता देते हुए थाने से भगा दिये।
दफा-9 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि थाने में पुलिस वालो द्वारा मेरे भाई कृष्णा को लाँकअप में बन्द करने पर मुझे विश्वास हो गया कि मेरे भाई को पुलिस वाले किसी फर्जी मुकदमें में चालान कर देंगे।
दफा-10 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि अपने छोटे भाई कृष्णा को फर्जी मुकदमें में फंसाने व प्राण रक्षा के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक जौनपुर के मौ०- नं०- 9454400280 पर अपने मोबाइल नं०-9984669989 से दो बार फोन लगभग 5.35 बजे शाम दिनांक 11.02.2021 को फोन किया तथा सही जबाव न मिलने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक जौनपुर के मोबाइल वाट्सअप पर अपने भाई के बारे में थाना बक्शा जबरदस्ती उठा ले जाने के बावत मैसेज भी किया था। जिसका रिकार्ड मेरे पास है।
दफा-11 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि दिनांक 11.02.2021 को समय रात्रि 8 बजे मैं अजय यादव व मेरी पत्नी सुनीता, मेरी माता सरस्वती देवी, भाभी गुड़िया, चचेरे भाई प्रमोद यादव ओसार में बैठकर बातचीत कर रहे थे। और हमारे छोटे भाई प्रदीप यादव की पत्नी कोमल यादव की तबियत खराब होने की वजह से वह घर के अन्दर सोई थी। हम सब परिवारजन कृष्णा को पुलिस वाले बिना वजह के क्यों लेकर गये इसी विषय में बातचीत कर रहे थे। तभी थाना बक्शा S.O अजय कुमार सिंह व 10-12 पुलिस वाले कुछ वर्दी में कुछ सादे वर्दी में मेरे घर पर आये। और भद्दी- भद्दी गाली देने लगे। मेरे व परिवार के पूछने पर कि मेरा भाई कहा है तो पुलिस वाले ने बताया कि तुम्हारा भाई कृष्णा थाने में है।
दफा-12 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरे व परिवार वालो के विरोध करने पर बन्दूक दिखाकर चुप करा दिया। और दरवाजा पीटने लगे। अन्दर मेरे छोटे भाई प्रदीप यादव की पत्नी कोमल यादव शोरगुल और दरवाजा जोर-जोर से पीटने की वजह से दरवाजा खोला। तो उसको भद्दी-भद्दी गाली देते हुए हाथ पकड़कर धक्का देते हुए घर से बाहर निकाल दिया। घर में घुसकर बक्शे का ताला तोड़कर बक्शे में रखा 60 हजार रूपया जो मैने अपने मौसा संतोष यादव पुत्र ज्वाला यादव से खेत जो मेरा रेहन पर था छुड़ाने के लिए लिया था।
दफा-13 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि घर के अन्दर रखा हुआ खाना-पीना फेक दिया और धमकाते हुए व भद्दी-भद्दी गाली देते हुए बोले कि अगर तुम लोग हल्ला- गुल्ला करोगे तो तुम सबको मारेंगे। और कृष्णा को जान से मार देंगे। जाते समय घर पर खड़ी अपाचे जिसका नम्बर-UP 62/BF3621 भी उठा ले गये।
दफा-14 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि 11/12.02.2021 को रात्रि लगभग 12.30 बजे वही पुलिस वाले जो रात्रि 8 बजे आये थे वही पुलिस वाले मेरे भाई कृष्णा यादव को घसीटते हुए घर पर लाये तो मेरे भाई ठीक से खड़ा नही हो पा रहा था। बाहर पड़ी चारपाई पर उसे फेक दिये। मेरा भाई जोर-जोर से कराह रहा था मां-मां मुझे बचा लो। उसके बाद पुलिस वाले मेरे भाई का बाल पकड़कर चारपाई से जमीन पर पटक दिया। और पुलिस वाले बोले साले प्रधानी लड़ेगा तो तुझे उस लायक नही छोड़ूगा।
दफा-15 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरे व परिवार के पूछने पर कि साहब मेरे भाई ने क्या गलती की है जो आप इसे इतना मारे है और हम गरीब लोगो को क्यो सता रहे है। तो S.O अजय कुमार सिंह ने गाली देते हुए कहा कि चुप रहो नही तो तुम्हारा भी यही हाल करेंगे। और पैसा लाओ तभी तुम्हारे भाई को छोड़ेगे अगर पैसा नही दोगे तो तुम्हारे भाई की जान ले लेंगे। हत्या कर देंगे। मैं व मेरा पूरा परिवार पुलिस वालो के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे कि साहब मेरे भाई को छोड़ दो। लेकिन भद्दी-भद्दी साली देते हुए मेरे भाई को घसीटते हुए लेकर चले गये।

दफा-18 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मुझे अफवाहन सुबह 12.02.2021 को 8 बजे पता चला कि मेरे भाई को अजय कुमार सिंह व S.O.G टीम व पुलिस वाले द्वारा हत्या कर दी गयी।
दफा-19 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मै उक्त सूचना पर क्षेत्राधिकारी सदर के यहाँ गया तो क्षेत्राधिकारी सदर ने थाने पर फोन कर पता किया पता करने के बार मुझे सदर अस्पताल जौनपुर ले गये जहां पर मेरे भाई का शव पड़ा था।
दफा-20 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि पुलिस वाले मेरे भाई का पोस्टमार्टम कराने व शव जलाने का दबाव बनाने लगे। मैने कहा कि पहले मेरे भाई की हत्या का मुकदमा पुलिस वालो पर दर्ज किया जाय तब पोस्टमार्टम हेतु लाश भेजी जाय।
दफा-21 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि उक्त घटना की सूचना मुख्यमंत्री उ० प्र० सरकार को I.G.R.S के माध्यम तथा मानवाधिकार आयोग के फैक्स के माध्यम से सूचना दिया व अपने परिवार वालो को सूचना दिया।
दफा-22 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि अगल-बगल गांव कुछ सम्भ्रान्त व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शन सदर अस्पताल में किया गया काफी दबाव के बाद मेरे भाई के हत्या के बावत मुकदमा उपरोक्त दर्ज हुआ।
दफा-23 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि उक्त अजय कुमार सिंह थानाध्यक्ष बक्शा व S.O.G टीम व पुलिस वालो के मारने से पुलिस कस्टडी में मेरा भाई मर गया तथा झूठी कहानी बनाकर मेरी भाई के ऊपर झूठा मुकदमा लिखकर घटना कि लिपा पोती पुलिस द्वारा की जा रही है।
दफा-24 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि उक्त बातें मेरा 161 सी० आर० पी० सी० का बयान मानते हुए सम्बन्धित विवेचक को प्रेषित करने की कृपा करें।
अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि उक्त बयान हलफी को मेरा 161 सी०आर०पी० सी० के बयान के रूप में दर्ज करने की कृपा करें।

Statements of Kanashraj Yadav

समक्ष,
श्रीमान जिलाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक जौनपुर
विषयः- मु० अ० सं०- 38/2021 अन्तर्गत धारा-302, 394, 504, 452 I.P.C थाना-बक्शा, जिला-जौनपुर में 161 Cr.P.C के बयान के सम्बन्ध में-
हलफनामा मिनजानिब कंशराज यादव उ० त० 40 वर्ष पुत्र जलन्धर यादव ग्राम- चकमिर्जापुर, थाना-बक्शा, जिला-जौनपुर हस्ब जैल हैः-
दफा-1 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि उपरोक्त नाम पते का स्थायी निवासी हूं मेरी दुकान मेन रोड पर यादव जलपान, कृष्णा डेरी के नाम से है।
दफा-2 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरी दुकान इलाहाबाद रोड पर है। दिनांक 11.02.2021 समय लगभग 3 बजे दिन मेरी दुकान के सामने S.O बक्शा अजय कुमार सिंह व करीब 10-12 पुलिस वाले दो गाड़ी से खड़े थे तभी सौरभ पाठक, कृष्णा यादव उर्फ पुजारी पुत्र तिलकधारी मोटर साइकिल से लेकर पुलिस वाले के पास आया और पीछे से अजय यादव, कृष्णा का भाई व चन्द्रबदन यादव भी आ गये।
दफा-3 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि अजय यादव पुलिस वालो से कृष्णा को ले जाने का कारण पूछा तो पुलिस वाले बोले की S.O.G से ही पूछताछ के लिए ले जा रहे है। मेरे सामने ही S.O बक्शा अजय कुमार सिंह व S.O.G टीम के पुलिस वालो द्वारा कृष्णा यादव उर्फ पुजारी को पकड़कर ले गये।
दफा-4 मै बहलफ बयान करता हूँ कि 12.02.2021 को गाँव के अफवाहन पता चला कि कृष्णा यादव की पुलिस कस्टडी मे मौत हो गयी है लाश सदर अस्पताल में पड़ी है।
दफा-5 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि कृष्णा की मौत पुलिस वालो के मारने से आयी चोटो के कारण हुई है।
दफा-6 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि हलफनामा मेरे निजी ज्ञान मे सच व सही है न कोई बात झूठ है न छिपायी गयी, ईश्वर मेरी मदद करें।

Statements of Chandrabadan Yadav

सेवा में,
श्रीमान जिलाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक जौनपुर
विषयः- मु० अ० सं०-38/2021 अन्तर्गत धारा-302, 394, 504, 452,I.P.Cथाना-बक्शा, जिला-जौनपुर में 161 Cr.P.C के बयान के सम्बन्ध में-
हलफनामा मिनजानिब चन्द्रबदन पुत्र बाबूराम यादव उम्र त० 25 वर्ष सा० मौ०-चकमोलनापुर, थाना-बक्शा, जिला-जौनपुर हस्ब जैल हैः-
दफा-1 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मैं उपरोक्त नाम व पते का मूल निवासी हूं तथा मेरे नाम व बल्दियत का कोई अन्य व्यक्ति मेरे मौजे मे नही है।
दफा-2 मैं बहलफ बयान करता हुं कि कृष्णा यादव उर्फ पुजारी मेरा मित्र का भाई था।
दफा-3 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि कृष्णा उर्फ पुजारी मेरे मित्र का छोटा भाई था जनपद के किसी भी थाने में कोई मुकदमा नही था कृष्णा एक सीधा सादा व्यवहार कुशल लड़का था और वो प्रधान पद के लिए तैयारी कर रहा था।
दफा-4 मैं बहलफ बयान करता हुं कि दिनांक 11/2/2021 को समय 2 बजे से अजय के साथ उनके घर पर था दिनांक 11/2/2021 को समय करीब 3 बजे मोटरसाइकिल से सौरभ पाठक पुत्र जितेन्द्र पाठक सा० मौ०- सीहीपुर थाना लाइन बाजार जिला जौनपुर कृष्णा के घर पर आये तथा कृष्णा से कहे रोड पर चलो बक्सा एस० ओ० अजय कुमार सिंह बुला रहे हैं कृष्णा सौरभ पाठक कि बाइक पे चले गये।
दफा-5 मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मैं व अजय, सौरभ पाठक के पिछे पिछे कंशराज यादव कि दुकान के सामने मेन रोड पे गये तो मैने देखा सौरभ ने मोटरसाइकिल ले जाकर कंशराज यादव के दुकान के सामने मेन रोड पे रोक दिया तो वहां पहले से खड़े एस० ओ० बक्सा अजय कुमार सिंह व कुछ पुलिस वाले थे कृष्णा को दबरदस्ति अपनी गाड़ी लेकर जाने लगे मैं व अजय ने पुलिस वाले से पुछा क्यु लेकर जा रहे है तो कुछ पुलिस वाले बोले कि हम एस० ओ० जी० से है पूछताछ के लिए ले जा रहे है सौरभ पाठक भी पुलिस वालो कि गाड़ी के साथ साथ अपनी मोटरसाइकिल से गया।
दफा-6 मैं बहलफ बयान करता हुं कि कृष्णा को पुलिस वाले को ले जाते समय अजय व कंशराज यादव व मैं तथा गाँव व अगल बगल के तमाम लोगो ने देखा।
दफा-7 मैं बहलफ बयान करता हुं कि कृष्णा यादव को थाना बक्सा पुलिस ले जाने के बाद मैं व अजय भी थाना बक्सा गये मैं व अजय ने देखा कृष्णा को पुलिस वाले लांकअप में बन्द किये थे कृष्णा रो रहा था मैं व अजय ने कृष्णा से मिलने का प्रयास किया तो पुलिस वाले गालीगुप्ता देते हुए थाने से भगा दिये।
दफा-8 मैं बहलफ बयान करता हुं कि पुलिस वालो द्वारा मेरे मित्र के भाई कृष्णा यादव को लांकअप में बन्द करने पर मुझे विश्वास हो गया कि कृष्णा को पुलिस वाले किसी फर्जि मुकदमें में चलान कर देंगे।
दफा-9 मैं बहलफ बयान करता हुं कि कृष्णा को फर्जि मुकदमें मे फंसाने व प्राण रक्षा के लिए मेरे मित्र अजय ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक जौनपुर के मो० नं०- 9454400280 पर अपने मोबाइल नं० 9984669989 से दो बार फोन लगभग 5.35 बजे साम दिनांक 11/2/2021 को फोन किया तथा

सही जबाव न मिलने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक जौनपुर के मो० वाट्सप पर अपने भाई के बारे थाना बक्सा जबरदस्ती उठा ले जाने के बावत मैसेज भी किया था जिसका रिकार्ड अजय के पास है।
दफा-10 मैं बहलफ बयान करता हुं कि सुबह पता चला पुलिस वाले एस० ओ० बक्सा अजय कुमार सिंह व एस० ओ० जी० रात मे कृष्णा के घर आये घर में घुसकर 60 हजार रूपया व मोटरसाइकिल नं० यू० पी० 62 बी० एफ० 3621 उठा ले गये मना करने पर परिवार वालो को भद्दी भद्दी गाली गुप्ता दिये।
दफा-11 मैं बहलफ बयान करता हुं कि सुबह अफवाहन पता चला कि कृष्णा यादव कि पुलिस द्वारा मारने पिटने के वजह से उसकी मृत्यु हो गयी।
दफा-12 मैं बहलफ बयान करता हुं कि जब मैं सदर जौनपुर पहंचा तो कृष्णा यादव कि लाश मर्चरी पर पड़ी थी उसके शरीर पर मारने पिटने कि वजह से गम्भीर चोट के काले निसान थे जो मैने अपने मोबाइल से विडीयो रिकार्ड किया जो मेरे पास है।
दफा-13 मैं बहलफ बयान करता हुं कि कृष्णा यादव कि मृत्यु पुलिस वाले के मारने पिटने से आई गम्भीर चोटो के कारण थाने के अन्दर हि हो गयी थी।
दफा-14 मैं बहलफ बयान करता हुं कि पुलिस वाले अपने को बचाने के लिए कृष्णा यादव पर झुठा मुकदमा लगा कर मामले कि लिपा पोती कर रहे हैं।
दफा-15 मैं बहलफ बयान करता हुं कि उक्त बाते मेरा 161 सी० आर० पी० सी० का बयान मानते हुए सम्बन्धित विवेचक को प्रेषित करने कि कृपा करें।
अतः श्रीमान जी से अनुरोध हैं कि उक्त बयान हलफी को मेरा 161 सी० आर० पी० सी० के बयान के रूप में दर्ज करने कि कृपा करें।

Statements of Saraswati Devi

सेवा में,
श्रीमान जिलाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक जौनपुर
विषयः- मु० अ० सं०-38/2021 अन्तर्गत धारा-302, 394, 504, 452, I.P.Cथाना-बक्शा, जिला-जौनपुर में 161 Cr.P.C के बयान के सम्बन्ध में-
हलफनामा मिनजानिब सरस्वती देवी पत्नी तिलकधारी उम्र त० 55 वर्ष सा० मौ०-चकमिर्जापुर, थाना-बक्शा, जिला-जौनपुर हस्ब जैल हैः-
दफा-1 मैं बहलफ बयान करती हूँ कि मैं उपरोक्त नाम व पते की मूल निवासिनी हूं तथा मेरे नाम व वल्दियत का कोई अन्य महिला मेरे मौजे मे नही है।
दफा-2 मैं बहलफ बयान करती हूँ कि कृष्णा यादव उर्फ पुजारी मेरा लड़का था।
दफा-3 मैं बहलफ बयान करती हूँ कि दिनांक- 11.02.2021 को समय लगभग 3.00 बजे करीबी सौरभ पाठक नाम का लड़का मोटरसाईकिल से मेरे घर पर आया कृष्णा यादव से कहे चलो तुम्हें एस० ओ० बक्शा बक्शा अजय कुमार सिंह बुला रहे हैं। मेन रोड पर खड़े है। जब मेरा लड़का कृष्णा सौरभ पाठक गाड़ी पे बेठकर चला गया तब मेरा बड़ा लड़का अजय व चन्द्रबदन भी कृष्णा के पीछ-पीछे रोड पर गया था जहां से पुलिस वालें मेरे लड़के कृष्णा को अजय व चन्द्रबदन के सामने गाड़ी में बैठाकर लेकर चले गयें।
दफा-4 मैं बहलफ बयान करती हूँ मेरे लड़के कृष्णा को ले जाने के बाद दिनांक 11.02.2021 रात्रि 8.00 बजे मैं व मेरा परिवार ओसार में बैठकर बात चीत कर रहे थे हमारी छोटी बहु कोमल यादव की तबियत खराब होने की वजह से घर के अन्दर सोई थी बिना वजह कृष्णा को पुलिस वालें क्यों लेकर गये इसी विषय मे बात चीत कर रहे थे। तभी थाना एस० ओ० अजय कुमार सिंह व 10-12 पुलिस वालें कुछ वर्दी मे कुछ सादे वर्दी में मेरे घर पर आये और भद्दी- भद्दी गाली देने लगे मेरे व मेरे परिवार के पुछने पर की मेरा बेटा कहा है तो पुलिस वालें ने गाली देते हुए बोला तुम्हारा लड़का थाने में है।
दफा-5 मैं बहलफ बयान करती हूँ कि मेरे व परिवार वालों के विरोध करने पर बन्दूक दिखाकर चुपकरा दिया और दरवाजा जोर- जोर से पिटने लगें अन्दर मेरी छोटी बहु कोमल शोर-गुल और दरवाजा जोर- जोर से पीटने की वजह से दरवाजा खोला तो उसको भद्दी-भद्दी गाली देते हुए हाथ पकड़क धक्का देते हुए घर से बाहर निकाल दिया घर मे घुसकर बक्शे का ताला तोड़कर बक्शे मे रखा हुआ 60 हजार रूपया निकाल लिये और घर के अन्दर रखा हुआ खाना पीना फेक दिया और धमकाते हुए व भद्दी- भद्दी गाली देते हुए बोले की अगर तुम लोग हल्ला गुल्ला करोगे तो तुम सब को भी मारेंगे और तुम्हारे लड़के को जान से मार देगे। जाते समय घर पर रखी अपाची मोटरसाईकिल यू० पी० 62 बी० एफ० 3621 उठा ले गये।
दफा-6 मैं बहलफ बयान करती हूँ कि पुनः 11/12.02.2021 रात्रि 12.30 बजे मेरे घर पर वही पुलिस वालें जो रात्रि 8.00 बजे आये थे वही पुलिस वाले मेरी लड़के कृष्णा यादव को घसीटते हुए घर पर लायें तो मेरे लड़का ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था। दो पुलिस वालें पकड़े हुए थे। बाहर पड़ी चारपाई पर उसे फेक दिया। मेरा लड़का जोर-जोर से कराह रहा था मां, मां मुझे बचा लो। पुलिस वाले मुझे बहुत मारे है और मेरी हत्या कर देंगे घर में जो कुछ पैसा हो लाकर इन्हें दे दो और मेरी जान बचा लो। उसके बाद पुलिस वालें मेरे लड़के का बाल पकड़ कर चारपाई से जमीन पर पटक दिया।
दफा-7 मैं बहलफ बयान करती हूँ कि पुलिस वाले से पुछी साहब मेरे लड़के की क्या गलती है जो आप इसे इतना मारे है और हम गरीब लोगों को क्यों सता रहे हैं। फिर पुलिस वालें भद्दी-भद्दी गाली देते हुए मेरे लड़के को घसीटते हुए लेकर चले गये। और पुलिस वाले ने बोला पैसा लाओं तभी तुम्हारे लड़के को छोड़ेगे नहीं तो जान से मार देगें।
दफा-8 मैं बहलफ बयान करती हूँ कि पुलिस वालें एस० ओ० बक्शा व एस० ओ० जी० टीम के लोगों द्वारा मेरे बेटे की बुरी तरह से मारा पीटा गया है। जब मेरा बेटा मर गया तो उसकी लाश सदर अस्पताल में ले जाकर रखकर भाग गये। यह बात दिनांक 12.02.2021 की सुबह गाँव में अफवाहन पता चला तब मेरा बड़ा लड़का अजय सी० ओ० सदर के यहां गया वहां से जानकारी हुई कि कृष्णा की लाश सदर अस्पताल में है। हम लोग सदर अस्पताल गये मेरे बेटे की मृत शरीर मरचरी पर पड़ा था।
दफा-9 मैं बहलफ बयान करती हूँ कि मेरे बेटे कृष्णा उर्फ पुजारी की मृत्यु पुलिस वालों के द्वारा मारने पीटने से हुई। अब पुलिस वालों द्वारा मेरे बेटे के ऊपर झूठा मुकदमा करके मनगढ़न्त कहानी बना रहे है पुलिस वालों द्वारा लीपा-पोती की जा रही है।
दफा-10 मैं बहलफ बयान करती हूँ कि हलफनामा मेरे निजी ज्ञान में सच व सही है न कोई बात झूठ है न छिपायी गयी, ईश्वर मेरी मदद करें।

21. Call details filed alongwith the writ petition prima faice showing the complaint made by the petitioner to the Superintendent of Police, Janupur on 11.02.2021, as referred in paragraph 19 of this order, is reproduced below :-

"Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp can read or listen to them. Tap to learn more

Sir mai Ajay Yadav pakadi chak mirjapur se mera chota bhai chunav ki taiyari kar raha hai prachar prasar kar raha tha chetra me baksha thana utha ke le gai hai muje asanka hai kahi farji mukada na laga de sir hamari madad kare praadam sir

5:39 PM

Krishna Yadav putra Tilakdhari Yadav

5:39 PM

Call History

S
094544 00280
Mobile, 5:55 PM

Sp Junpur
(S. P Jaunpur)
+ Add tag
094544 00280
Mobile, Yesterday 5:34 PM

CALL MESSAGE BLOCK

In your contacts
094544 00280
Mobile, Yesterday 5:32 PM (35s)

094544 00280
Mobile - BSNL

View call history

policejunpur@gmail.com

Uttar Pradesh East, India

Message +91 94544 00280"

22. As per the alleged Hospital slip being part of the case diary produced today in court by the learned Government Advocate in presence of the respondent No.3, the deceased was brought dead by the Police at District Hospital Jaunpur at about 3:35 A.M. On 12.02.2021, whereas, the Superintendent of Police Jaunpur and the District Magistrate Jaunpur have stated in their letters all dated 12.02.2021 sent to the National Human Rights Commission New Delhi and the District Judge Jaunpur that KRISHNA Yadav had died during treatment at 03:35 P.M. at District Hospital, Jaunpur. These facts have been mentioned by us only as instances.

23. Sri Gyan Prakash, learned counsel for the respondent No.5 submits that if this court directs then investigation shall be carried by the respondent No.5.

24. Perusal of the counter affidavit and copy of the case diary as produced before us by the learned G.A. Prima facie shows that entire effort of the police is to some how give clean chit to the accuseds and for this purpose important evidences are being left and some evidences are being created and manipulated. But presently we do not want to comment any more since fair investigation is yet to be carried by an independent and impartial Agency.

25. The facts mentioned above have been noted by us and brief discussion has been made by us only for the purposes to see as to whether investigation by the police has been carried honestly, fairly, diligently or attempt is being made to shield

guilty police officers/policemen and to manufacture/create false evidences. Ultimately, whether the accused policemen have committed offence of murder and other offences and whether the then Superintendent of Police, Jaunpur and Circle Officer, Jaunpur were influencing the investigation and are creating false evidences, are matters of investigation. There are sufficient material on record which prima facie reveal commission of offence by the accuseds and involvement of higher officers in consiperacy, destroying evidences and creating false evidences to protect the accuseds. Fair investigation is the foundation for a fair trial. In the present set of facts fair investigation by State Police appears to be not possible in view of all the brief facts and circumstances noted above.

26. This court in writ jurisdiction does not intend to enter into these areas, but with the sole purpose as to whether fair investigation is being done or not, the facts in brief have been noted by us. Therefore, the investigation by any agency in a fair manner, shall not be influenced by any of the observations made by us.

27. Today, learned Government Advocate has stated before us that from the last three days, efforts are being made for arrest of the accused, but they are absconding and therefore, N.B.Ws. have been obtained for their arrest, but they could not be arrested so far.

28. The facts as briefly noted above would further prima facie reveal that officers of the I.P.S. rank also have some involvement in the murder/death of the deceased Krishna Yadav, who died in police custody, allegedly due to brutal beating by the accused policemen.

29. Post mortem report as well as alleged slip dated 12.02.2021 issued by the District Hospital also prima facie appears to have been managed/fabricated. Serious allegations have been made against the police personnel, which cannot be said to be completely without evidence.

30. In the case of K.V. Rajendran vs. Superintendent of Police vs. CBCID, South Zone, Chennai and others (2013) 12 SCC 480 (Paras-13, 14 and 17), Hon'ble Supreme Court observed that investigation can be transferred from the State Investigating Agency to any other independent agency like CBI and the power of transferring such investigation should be exercised in rare and exceptional cases where the court finds it necessary in order to do justice between the parties and to instil confidence in the public mind or where investigation by the State Police lacks credibility and it is necessary for having "a fair, honest and complete investigation" and particularly when it is imperative to retain public confidence in the impartial work of the State Agencies. In the aforesaid case, Hon'ble Supreme Court referred to its decision in Rubabbuddin Sheikh v. State of Gujarat & Ors (2010) 2 SCC 200 and observed that in order to do justice and instil confidence in the minds of the victims as well of the public, the State Police Authorities could not be allowed to continue with the investigation when allegations and offences were mostly against top officials. It was further observed that where high officials of State authorities are involved, or the accusation itself is against the top officials of the investigating agency thereby allowing them to influence the investigation, and further that it is so necessary to do justice and to instil confidence in the investigation or where the investigation is prima facie found to be tainted/biased, the court could exercise its Constitutional powers for transferring an investigation from the State investigating agency to any other independent investigating agency like CBI only in rare and exceptional cases.

31. In Mithilesh Kumar Singh vs. State of Rajasthan and others (2015) 9 SCC 795 (Para-15), Hon'ble Supreme Court while emphasizing the need of fair, proper and impartial investigation, considered the transfer of investigation to CBI and held as under:

"15. Suffice it to say that transfers have been ordered in varied situations but while doing so the test applied by the Court has always been whether a direction for transfer, was keeping in view the nature of allegations, necessary with a view to making the process of discovery of truth credible. What is important is that this Court has rarely, if ever, viewed at the threshold the prayer for transfer of investigation to CBI with suspicion. There is no reluctance on the part of the Court to grant relief to the victims or their families in cases, where intervention is called for, nor is it necessary for the petitioner seeking a transfer to make out a cast-iron case of abuse or neglect on the part of the State Police, before ordering a transfer. Transfer can be ordered once the Court is satisfied on the available material that such a course will promote the cause of justice, in a given case."

32. The criminal justice system mandates that any investigation into the crime should be fair, in accordance with law and should not be tainted. It is equally important that interested or influential persons are not able to misdirect or hijack the investigation, so as to throttle a fair investigation resulting in the offenders escaping punitive course of law. These are important facets of the rule of law. Breach of rule of law amounts to negation of equality under Article 14 of the Constitution of India. Article 21 of the Constitution of India makes it clear that the procedure in criminal trials must be right, just and fair and not arbitrary, fanciful or oppressive, vide Menka Gandhi vs. Union of India AIR 1978 SC 597 (para-7) and Vinubhai Haribhai Malviya and others vs. State of Gujrat and another AIR 2019 SC 5233 (paras-16 and 17) and Subramanian Swamy vs. C.B.I. (2014) 8 SCC 682 (para-86). Article 21 enshrines and guarantees the precious right of life and personal liberty to a person which can only be deprived on following the procedure established by law in a fair trial which assures the safety of the accused. The assurance of a fair trial is the first imperative of the dispensation of justice, vide Commissioner of Police, Delhi vs. Registrar, Delhi High Court, New Delhi AIR 1997 SC 95 (para-16). The ultimate aim of all investigation and inquiry whether by the police or by the Magistrate is to ensure that those who have actually committed a crime, are correctly booked and those who have not, are not arraigned to stand trial. This is the minimal and fundamental requirement of Article 21 of the Constitution of India. Interpretation of provisions of Cr.P.C. needs to be made so as to ensure that Article 21 is followed both in letter and in sprit. "A speedy trial" is the essence of companion in concept in "fair trial". Both being inalienable jurisprudentially, the guarantee under Article 21 of the Constitution of India embraces both life and liberty of the accused as well as interest of the victim, his near and dear ones as well as of the community at large and, therefore, cannot be alienated from each other. A fair trial includes fair investigation as reflected from Articles 20 and 21 of the Constitution of India. If the investigation is neither effective nor purposeful nor objective nor fair, the courts may if considered necessary, may order fair investigation, further investigation or reinvestigation as the

case may be to discover the truth so as to prevent miscarriage of justice. However, no hard and fast rules as such can be prescribed by way of uniform and universal invocation and decision shall depend upon facts and circumstances of each case.

33. Fair and proper investigation is the primary duty of the investigating officer. In every civilized society, the police force is invested with powers of investigation of a crime to secure punishment for the criminal and it is in the interest of the society that the investigating agency must act honestly and fairly and not resort to fabricating false evidence or creating false clues only with a view to secure conviction because such acts shake the confidence of the common man not only in the investigating agency but in the ultimate analysis in the system of dispensation of criminal justice. Proper result must be obtained by recourse to proper means, otherwise it would be an invitation to anarchy, vide Rampal Pithwa Rahidas vs. State of Maharastra 1994 Suppl, (2) SCC 73 (para-37). Investigation must be fair and effective and must proceed in the right direction in consonance with the ingredients of the offence and not in a haphazard manner moreso in serious case. Proper and fair investigation on the part of the investigating officer is the backbone of rule of law vide Sasi Thomas vs. State (2006) 12 SCC 421 (para-15 and 18).

34. Therefore, considering the fact and circumstances of the case in its entirety and applying the principles of law aforenoted, we direct the respondent no.5 to investigate forthwith in FIR No. 0038/2021, dated 12.02.2021 under Sections 302, 394, 452 & 504 I.P.C. P.S. - Baksa, District - Jaunpur, and accordingly investigation is transferred/entrusted forthwith to the respondent No.5. The respondent nos. 1, 2, 3 & 4 shall ensure that the entire evidences and papers relating to the aforesaid case crime/FIR are transferred to Investigating Officer of the respondent No.5 for investigation. An affidavit of compliance shall be filed on behalf of the respondent no.5 and also by the State-respondents on or before the next date fixed.

35. Put up as a fresh case on 20.09.2021 at 02:00 P.M. before this bench for further hearing.
Order Date :- 8.9.2021
vkg

Visit **http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/StartWebSearch.do** for more Judgments/Orders delivered at Allahabad High Court and Its Bench at Lucknow. **Disclaimer**